



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

धारा 528 के तहत आवेदन बीएनएसएस संख्या - 547/2026

राकेश @ राकेश निषाद

.....

आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ और एक अन्य

..... विपक्षीगण

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता: राहुल कुमार शुक्ला, मोहित सिंह, शिवम श्रीवास्तव

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्राथमिकी के अनुसार, आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता की लगभग 20 वर्ष की पुत्री विवाह के झूठे वादे पर आवेदक से बात करती थी और उसे पसंद करती थी। यह भी आरोप है कि जब शिकायतकर्ता की पुत्री ने आवेदक से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो आवेदक और उसके पिता ने कहा कि वह जो चाहे कर सकती है, हम तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होने देंगे और आवेदक ने पीड़िता से कहा कि वह जो चाहे करे और अगर तुम मरना चाहती हो तो भी शादी नहीं करूंगा। यह भी आरोप है कि विवाह से इनकार किए जाने के कारण, शिकायतकर्ता की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पुत्री ने उकसाए जाने पर 17.04.2025 को आत्महत्या कर ली। यह भी आरोप है कि यदि आवेदक ने उससे शादी कर ली होती, तो वह आज भी जीवित होती। प्राथमिकी काफी देरी से 24.04.2025 को दर्ज की गई।

3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि शादी से इनकार करने के कारण पीड़िता ने आत्महत्या की है। उन्होंने मेरा ध्यान शवविच्छेदन आख्या की ओर दिलाया है जिसमें मृत्यु का कारण फांसी बताया गया है और निम्नलिखित चोटें पाई गई हैं:

"(i) गर्दन के चारों ओर 33 सेमी x 1 सेमी का एक लिंगेचर निशान, गर्दन के ऊपरी हिस्से के दाहिनी ओर 5 सेमी का गैप। दाहिने कान के ठीक नीचे, ठुड्डी से 5 सेमी नीचे और बाएं कान से 6 सेमी नीचे लिंगेचर निशान।

(ii) चीर-फाड़ करने पर लिंगेचर निशान के नीचे सूखा, सफेद, सख्त, चमकदार, चर्मपत्र जैसा ऊतक मौजूद था।

(iii) पूरे शरीर पर कोई अन्य बाहरी चोट नहीं देखी गई।"

4. आवेदक के अधिवक्ता ने आरोपपत्र में जिन गवाहों के बयानों पर भरोसा करने का प्रस्ताव है, उनकी ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें सभी गवाहों ने कहा है कि विवाह से इनकार किए जाने के कारण पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी बनाम कर्नाटक राज्य; 2024 INS 908** के मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 और धारा 107 के दायरे पर विचार किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन फैसलों पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की थी कि बिना किसी उकसावे के केवल विवाह से इनकार करना आत्महत्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जाएगा। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सीडीआर विश्लेषण के अनुसार, घटना से पहले आवेदक का स्थान महाराष्ट्र राज्य और अन्य स्थानों पर पाया गया था। इसलिए, आवेदक के खिलाफ धारा 108 बीएनएस के तहत आरोपपत्र दाखिल करना स्पष्ट रूप से आवेदक की ओर से कथित उकसावे के किसी भी सबूत के बिना है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि कार्यवाही विधि का दुरुपयोग मात्र है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

5. प्रथम दृष्टया प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी बनाम कर्नाटक राज्य (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप पाते हुए, मामले पर विचार करना आवश्यक है।

6. नोटिस जारी हो।

7. विपक्षी संख्या 2 को दो सप्ताह के भीतर नोटिस तामील कराने हेतु पैरवी की जाय।

8. छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो।

9. अगली सुनवाई की तारीख तक, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलरामपुर के अदालत में आवेदक के खिलाफ लंबित प्राथमिकी संख्या 40/2025 पुलिस स्टेशन गैन्डस बुजुर्ग, जिला बलरामपुर से संबंधित मामला संख्या 562/2025 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही स्थगित रहेगी।

(न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

18 मार्च, 2026

एके वर्मा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।